रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2903] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/श्रावण 5, 1940
No. 2903] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का.आ. 3689(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1308 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है और यह 57.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कई झीलों और कृत्रिम बारहमासी झील के साथ दलदली जमीन क्षेत्र है। यह झील पूरे वर्ष वन्य पशुओं के लिए जल का मुख्य स्रोत है और यह पयर्टकों के लिए मुख्य आकर्षण भी है;

और, उक्त अभयारण्य में वनस्पतीय और जीव जन्तु की विविधता के साथ वृक्षों, झाड़ियों और पर्वतारोहियों की 180 प्रजातियाँ (लगभग), घासों की 18 प्रजातियाँ (लगभग), जलीय वनस्पति की 19 प्रजातियां (लगभग) है और जीवजन्तुओं में बाघ (*पेंथेरा टिगरिस*), जंगली बिल्ली फेलिस चौस (*फेलीडाई*), पेर्कुपाइन हाइस्टिसक्स इंडिका (*हास्ट्रिसीडीए*), पैंगोलिन मेनिस क्रैससिकाउडाटा (*मनिडी*) और वनस्पति प्रजातियों में हल्दू (*अदीना कोर्दीफोलिया*), करी मिलुसा टोमेंटोसा (*एनोनैसीए*), बीजा (*पेटरोकार्पस मार्सूपियम*), मैदा (*लिटिया ग्लुटिनोसा*), हररा (*टर्मिनलिया चेबुला*) हैं;

और, चैम्पियन और सेठ के पुनरीरित वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त अभयारण्य में शुष्क पूर्णपाती झाड़ी वन और मुख्यत: खैर, मोयन करधाई, धौरा, साजा, लेंदिया, तेंदु, सीताफल, करोंदा, लान्टाना और कुछ चंदन के टुकड़े आते हैं और औसत घनत्व 0 से 0.7 तक परिवर्तनशील होता है। अधिकांश प्रजातियां सूख जाती है, जल जाती है और अच्छी कटाई के काम भी आती है।

और, इस अभयारण्य की महत्तवपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ज्यादातर शाह बुलबुल होती है। अन्य पक्षियों में जैसे बुलबुल, उल्लू, कठफोडवा, आदि सामान्य पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो इस क्षेत्र में कभी भी दिखायी दे जाती है,

शाह बुलबुल, जो मध्य प्रदेश राज्य का पक्षी है, यह अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में घने वन में पाया जाता है । प्रवासी पक्षी जो अभयारण्य में वास करते हैं जिसमें स्पाट बिलड बत्तख, ब्रह्मिनी बत्तख, सरोस क्रैन, स्टीलट, जकाना, वगटैल,सामान्य भारतीय धनेश, वाइट नेकड स्टोर्क सम्मिलित हैं। मांसाहारी जाति, जो अभयारण्य में मुख्यत: तेंदुआ के लिए है यहां इसके खाने की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहां बहुतायत चिंकारा, चीतल और खरगोश पाए जाते हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में **नरसिंहगढ़** वन्यजीव अभयारण्य की सीमा जो 100 मीटर से 2 किलोमीटर की दूरी तक के विस्तार के साथ शहरी/आवासीय बस्तियों की क्षेत्र में फैला हुआ है, क्षेत्र को **नरसिंहगढ़** वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 140.71 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका विस्तार शहरी/आवासीय बस्तियों से 100 मीटर से **नरसिंहगढ़** वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शेष क्षेत्र पर दो कि.मी. तक है और **नरसिंहगढ़** वन्यजीव अभयारण्य तथा इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ-साथ बिन्दुओं के पोजिशिनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) निर्देशांक के प्ररुप में सीमा ब्यौरे **उपाबंध I** में दिए गए हैं |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 48 ग्रामों की सूची **उपाबंध 2** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा ब्यौरों और अक्षांश और देशान्तर **उपाबंध 3** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और उस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी, यदि कोई हों, मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरुप तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, संबद्ध राज्य के विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और उक्त योजना के ब्यौरे देते हुए विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग को समर्थित किया जाएगा ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग – (क)** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा और मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास भी है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिये गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु, यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, होटलों और रिसोर्टों के किसी नए सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार के एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों, आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण)1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपयोग के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धात और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल प्रदुषण निवारण और नियन्त्रण अधिनियम 1974(1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा; और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ई एस एम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरुप दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनिकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तटीय विनियमन जोन द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्र.सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसके अंतर्गत मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और अन्य क्रियाकलाप के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी है विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों जल, वायु, मृदा, ध्वनि की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। परन्तु ऐसे उद्योगों को जिन्हें आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरित या श्वेत कृषि द्वारा वर्गीकृत किया गया है जिसके अंतर्गत कृषि आधारित लघु उद्योग भी है लागू विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

4.	परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
7.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक के जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
8.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परन्तु प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी;

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।
15.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्यकी के साथ चालू कृषि और बागवानी पद्धतियां ।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित होंगे ।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि, भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि/वन/वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, भोपाल – अध्यक्ष

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) से मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य

(iii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(iv) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(v) मुख्य वन संरक्षक, भोपाल - सदस्य ;

(vi) जिला कलेक्टर, राजगढ़ - सदस्य ;

(vii) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नरसिंहगढ़ - सदस्य ;

(viii) अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य विभाग, भोपाल - सदस्य ;

(ix) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ - सदस्य ;

(x) शहर और ग्राम योजना विभाग का जिला अधिकारी, - सदस्य ;

(xi) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

(xii) वन्यजीव वार्डन, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, भोपाल – सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना

IndiaCode

के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/75/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध-I

नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	उ 23°42'31.42"	पू77° 04'59.25"
दक्षिण	उ 23°39'35.78"	पू 77° 08'29.46"
पूर्व	उ 23°36'56.55"	पू 77° 07'03.73"
पश्चिम	उ 23°38'03.82"	पू 77° 02'05.03"

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	उ 23°42'34.68"	पू 77° 04'59.45"
दक्षिण	उ 23°39'39.43"	पू 77° 09'40.08"
पूर्व	उ 23°35'51.45"	पू 77° 07'03.66"
पश्चिम	उ 23°37'56.71"	पू 77° 00'54.69"

उपाबंध-II

नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

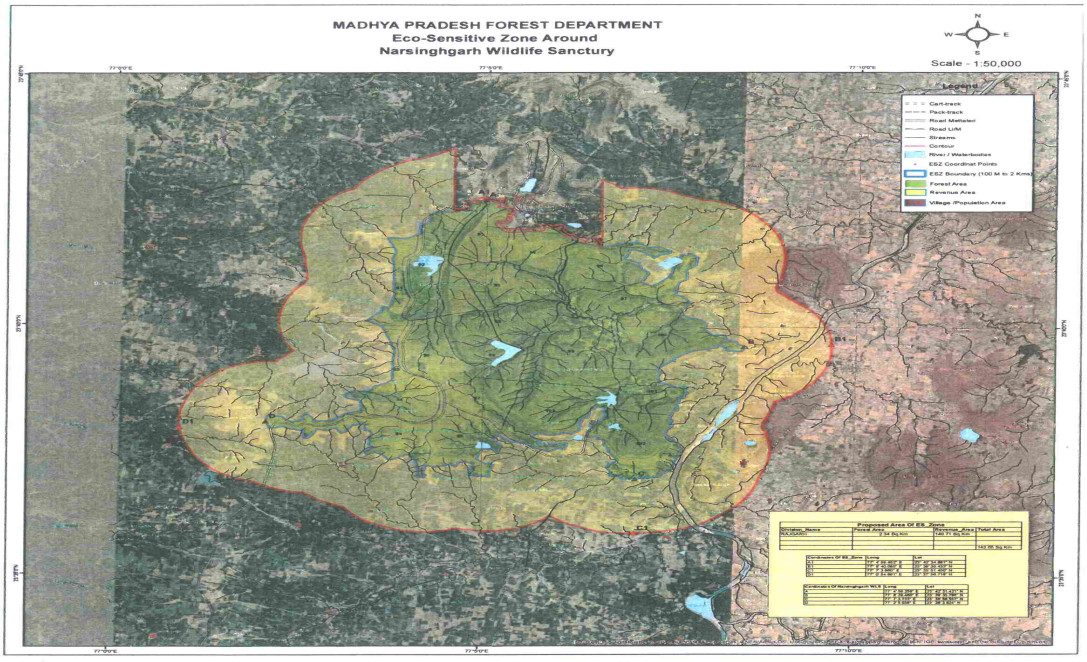
क्र. सं	ग्राम के नाम	तहसील	अक्षांश	देशांतर
1.	अम्बेडकर नगर	नरसिंहगढ़	23°40'58.6"	077°03'45.4"
2.	अमलयाघाटी	नरसिंहगढ़	23°38'46.1"	077°08'22.8"
3.	बवदीखेड़ा	नरसिंहगढ़	23°41'51.1"	077°08'43.5"
4.	बैंकपुर	नरसिंहगढ़	23°36'41.4"	077°06'16.4"
5.	वनसिया	सेहोर	23°39'21.1"	077°09'51.1"
6.	बटुका	नरसिंहगढ़	23°38'42.3"	077°07'51.5"
7.	बरखेदीगढ़ी	नरसिंहगढ़	23°40'08.8"	077°08'58.8"
8.	बदोदिया तलब	नरसिंहगढ़	23°39'29.2"	077°01'58.4"
9.	भतपुर	नरसिंहगढ़	23°38'21.2"	077°08'11.3"
10.	भेरूपुर	नरसिंहगढ़	23°36'43.7"	077°06'49.1"
11.	भोपालपुर	नरसिंहगढ़	23°39'25.3"	077°08'20.9"
12.	बिहार	नरसिंहगढ़	23°37'15.1"	077°05'28.2"
13.	बनिजवा	नरसिंहगढ़	23°36'13.0"	077°03'31.3"
14.	बलबतपुर	नरसिंहगढ़	23°37'35.8"	077°05'53.6"
15.	बोदपुर	नरसिंहगढ़	23°41'57.8"	077°03'14.0"
16.	बंदी	नरसिंहगढ़	23°43'36.8"	077°04'42.0"
17.	चरपुर	नरसिंहगढ़	23°40'16.4"	077°08'31.2"
18.	चैपुर	नरसिंहगढ़	23°39'48.9"	077°05'35.3"
19.	चहाबाद	नरसिंहगढ़	23°38'59.2"	077°07'43.6"
20.	देवगढ़	नरसिंहगढ़	23°38'47.6"	077°04'30.8"
21.	दुनगपुर	नरसिंहगढ़	23°42'12.7"	077°08'16.4"
22.	फतेहपुर	नरसिंहगढ़	23°36'38.2"	077°07'17.2"
23.	गांधीग्राम	नरसिंहगढ़	23°40'27.6"	077°04'00.2"
24.	गावा	नरसिंहगढ़	23°37'15.5"	077°08'41.0"
25.	हानापुर	नरसिंहगढ़	23°39'29.3"	077°09'09.9"
26.	इलाहीपुर	नरसिंहगढ़	23°42'36.1"	077°07'01.0"
27.	इंदरगढ़	नरसिंहगढ़	23°37'28.4"	077°04'16.4"
28.	कच्छीपुरा बदोदिया	नरसिंहगढ़	23°39'41.6"	077°03'05.8"
29.	कच्छीपुरा विहार	नरसिंहगढ़	23°37'21.2"	077°05'58.3"
30.	खेदी	नरसिंहगढ़	23°42'04.6"	077°02'42.9"
31.	कोतरा	नरसिंहगढ़	23°37'54.1"	077°06'25.8"
32.	महोखेड़ा	नरसिंहगढ़	23°36'11.3"	077°08'05.7"
33.	नागखो	नरसिंहगढ़	23°37'53.1"	077°05'01.0"

IndiaCode

34.	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	23°42'36.4"	077°05'21.4"
35.	नरसिंहपुर	नरसिंहगढ़	23°42'18.8"	077°04'08.6"
36.	पीपलथोन	नरसिंहगढ़	23°37'00.5"	077°04'17.7"
37.	प्रतापपुर	नरसिंहगढ़	23°37'08.3"	077°06'27.4"
38.	पुरा	सेहोरे	23°36'13.7"	077°08'12.3"
39.	रघुनाथपुर	नरसिंहगढ़	23°42'13.4"	077°07'08.9"
40.	रेसाई	नरसिंहगढ़	23°38'10.4"	077°08'01.6"
41.	रसीदखेदी	नरसिंहगढ़	23°40'23.3"	077°08'00.2"
42.	रूकनियाखेड़ी	नरसिंहगढ़	23°36'16.5"	077°04'58.8"
43.	सारना	नरसिंहगढ़	23°41'41.9"	077°03'20.9"
44.	सगपुर	नरसिंहगढ़	23°42'27.1"	077°04'24.4"
45.	शेरपुर	नरसिंहगढ़	23°36'23.3"	077°05'17.5"
46.	शोभागपुर	नरसिंहगढ़	23°40'18.8"	077°03'01.4"
47.	दीददोनिया	नरसिंहगढ़	23°37'17.5"	077°02'58.1"
48.	विजयगढ़	नरसिंहगढ़	23°41'22.3"	077°07'38.3"

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर तथा जी.पी.एस. निर्देशांकों के साथ नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

S.O. 3689(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1308 (E), dated the 26th April, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the said draft notification;

WHEREAS, Narsinghgarh Wildlife Sanctuary situated in Rajgarh district in the State of Madhya Pradesh and spread over an area of 57.19 square kilometers has number of lakes and wetland areas with an artificial perennial lake and this lake is a major source of water to wild animals throughout the year and also the key attraction for the tourists;

AND WHEREAS, the said Sanctuary is rich in floral and faunal diversity with Trees, Shrubs and Climbers 180 species (approx), Grasses 18 species (approx), Aquatic flora, 19 species (approx) and in faunal Tiger *(Panthera tigris),* Wildcat *Felis chaus (Felidae),*Percupine *Hystisx indica (Hystricydae),* Pangoline *Menis crassicaudata (Manidae),* andthe flora species are Haldu *(Adina cordifolia),* Kari Milusa tomentosa *(Annonaceae),* Bija *(Pterocarpus marsupium),* Maida *(Litsea glutinosa),* Harra *(Terminalia chebula);*

AND WHEREAS, as per Champion and Seth's revised classification the aforesaid Sanctuary is dry deciduous scrub forest and comprises mainly of Khair, Moyan Kardhai, Dhaura, Saja, Lendia, Tendu, Sitaphal, Karonda, Lantana and few patches of chandan and average density varies from 0 to 0.7, and most of the species are hardy to drought, fire and are good coppicers;

AND WHEREAS, the important feature of this Sanctuary is presence of Paradise flycatcher in abundance and among other birds like Bulbul, Owl, Woodpecker, etc. are the commonly found species of the birds, which can be seen any time in the area; Paradise flycatcher, which is the State bird of Madhya Pradesh, is mostly found in dense forest especially in the summer period migratory birds which visit the Sanctuary include Spot billed duck, Bramhini duck, Sarus crane, Stilt, Jacana, Wagtail, Common Indian hornbill, White necked stork; and the carnivores' family which is headed by Panther in the Sanctuary has no problem of their food, because Chinkara, Chital and Hare are found in abundance.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters on urban/residential settlement side to 2 kilometer in the rest of the area around the boundary of Narsinghgarh Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the Narsinghgarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 140.71 square kilometers with extent ranging from 100 meters on urban/residential settlements side to 2 kilometers on the rest of area from the boundary of the Narsinghgarh Wildlife Sanctuary and the boundary details in the form of Global Positioning System (GPS) coordinates of points along the boundary of Narsinghgarh Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I.**

(2) The list of 48 villages falling in the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in that notification.

(2) The said plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation withall concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like

IndiaCode

places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the said Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities and such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant laws of the Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under the relevant laws of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of the eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Narsinghgarh Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent

of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
7.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye laws. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws

19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes the Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zoneof the following, namely:-

(i) Divisional Commissioner, Bhopal -Chairman;

(ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh -Member;

(iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh -Member;

(iv) Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board -Member;

(v) Chief Conservator of Forests, Bhopal -Member;

(vi)	District Collector, Rajgarh	- Member;
(vii)	Chief Municipal Officer, Narsinghgarh	- Member;
(viii)	Superintending Engineer, Public Health Department Bhopal	- Member;
(ix)	Chief Executive Officer of Zilla Panchayat, Rajgarh	- Member;
(x)	District Officer of Town and Country planning Department	- Member;
(xi)	Expert in Biodiversity nominated by State Government	- Member;
(xii)	Wildlife Warden of Narsinghgarh Wildlife Sanctuary, Bhopal Secretary.	- Member

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for a period of three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/75/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary Co-ordinates of Narsinghgarh Wildlife Sanctuary

Direction	Latitude	Longitude
North	N 23^{0}42'31.42"	E 77^0 04'59.25"
East	N 23^{0}39'35.78"	E 77^0 08'29.46"
South	N 23^{0}36'56.55"	E 77^0 07'03.73"
West	N 23^{0}38'03.82"	E 77^0 02'05.03"

Boundary Co-ordinates of Eco-sensitive Zone

Direction	Latitude	Longitude
North	N 23^{0}42'34.68"	E 77^0 04'59.45"
East	N 23^{0}39'39.43"	E 77^0 09'40.08"
South	N 23^{0}35'51.45"	E 77^0 07'03.66"
West	N 23^{0}37'56.71"	E 77^0 00'54.69"

IndiaCode

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NARSINGHGARH WILDLIFE SANCTUARY

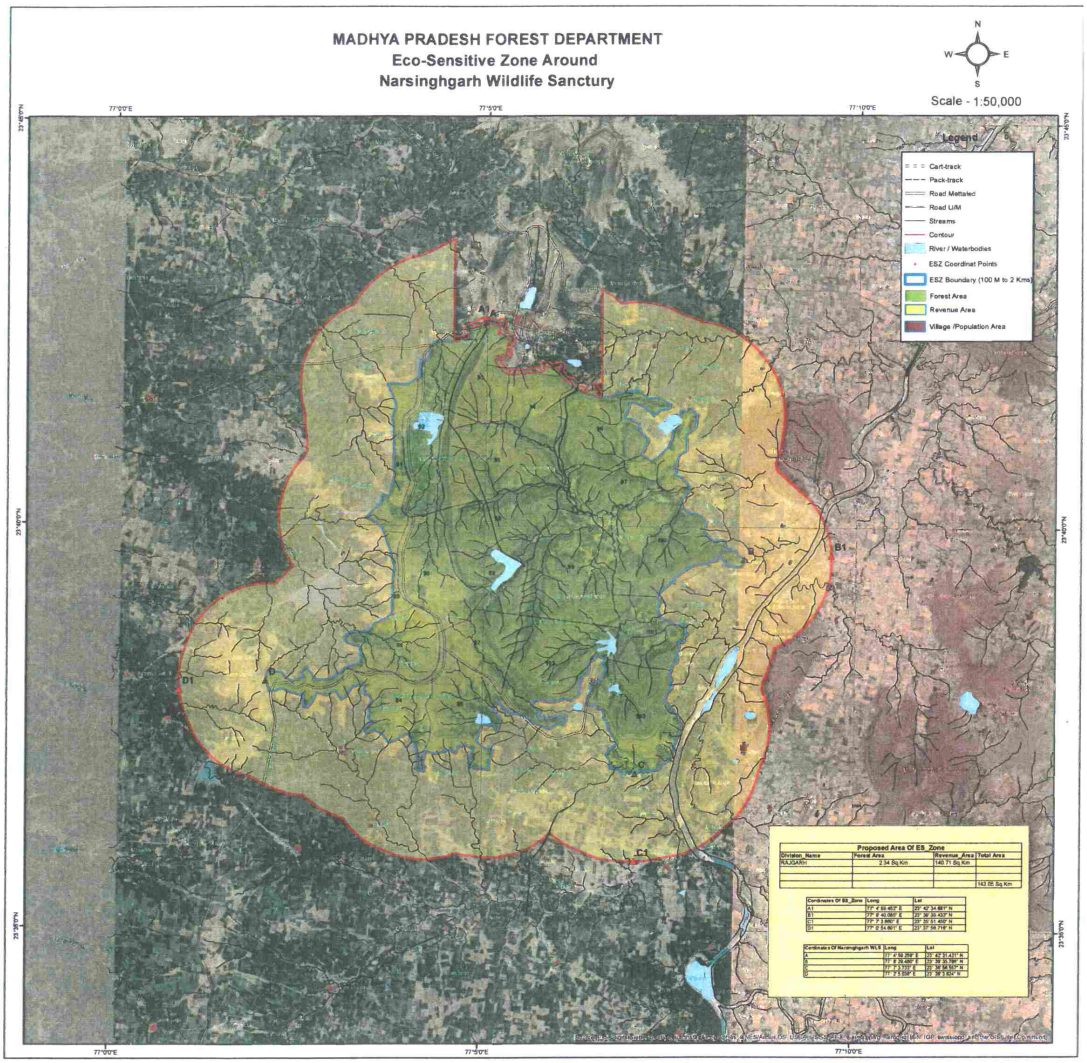
No.	Name of village	Tehsil	Latitude	Longitude
1.	Ambedkar Nagar	Narsinghgarh	23^{0}40'58.6''	077^{0}03'45.4''
2.	Amliyaghata	Narsinghgarh	23^{0}38'46.1''	077^{0}08'22.8''
3.	Bawdikheda	Narsinghgarh	23^{0}41'51.1''	077^{0}08'43.5''
4.	Bankpura	Narsinghgarh	23^{0}36'41.4''	077^{0}06'16.4''
5.	Bansiya	Sehore	23^{0}39'21.1''	077^{0}09'51.1''
6.	Bantuka	Narsinghgarh	23^{0}38'42.3''	077^{0}07'51.5''
7.	Barkhedigarhi	Narsinghgarh	23^{0}40'08.8''	077^{0}08'58.8''
8.	Badodiya talab	Narsinghgarh	23^{0}39'29.2''	077^{0}01'58.4''
9.	Bhatpura	Narsinghgarh	23^{0}38'21.2''	077^{0}08'11.3''
10.	Bherupura	Narsinghgarh	23^{0}36'43.7''	077^{0}06'49.1''
11.	Bhopalpura	Narsinghgarh	23^{0}39'25.3''	077^{0}08'20.9''
12.	Bihar	Narsinghgarh	23^{0}37'15.1''	077^{0}05'28.2''
13.	Binjwa	Narsinghgarh	23^{0}36'13.0''	077^{0}03'31.3''
14.	Balbatpura	Narsinghgarh	23^{0}37'35.8''	077^{0}05'53.6''
15.	Bodpura	Narsinghgarh	23^{0}41'57.8''	077^{0}03'14.0''
16.	Bandi	Narsinghgarh	23^{0}43'36.8''	077^{0}04'42.0''
17.	Charpura	Narsinghgarh	23^{0}40'16.4''	077^{0}08'31.2''

18.	Chaipura	Narsinghgarh	23^{0}39’48.9’’	077^{0}05’35.3’’
19.	Chhabad	Narsinghgarh	23^{0}38’59.2’’	077^{0}07’43.6’’
20.	Devgarh	Narsinghgarh	23^{0}38’47.6’’	077^{0}04’30.8’’
21.	Dungapura	Narsinghgarh	23^{0}42’12.7’’	077^{0}08’16.4’’
22.	Fatehpur	Narsinghgarh	23^{0}36’38.2’’	077^{0}07’17.2’’
23.	Gandhigram	Narsinghgarh	23^{0}40’27.6’’	077^{0}04’00.2’’
24.	Gawa	Sehore	23^{0}37’15.5’’	077^{0}08’41.0’’
25.	Hanapura	Narsinghgarh	23^{0}39’29.3’’	077^{0}09’09.9’’
26.	Ilahipura	Narsinghgarh	23^{0}42’36.1’’	077^{0}07’01.0’’
27.	Indargarh	Narsinghgarh	23^{0}37’28.4’’	077^{0}04’16.4’’
28.	Kachhipura Badodiya	Narsinghgarh	23^{0}39’41.6’’	077^{0}03’05.8’’
29.	Kachhipura Vihar	Narsinghgarh	23^{0}37’21.2’’	077^{0}05’58.3’’
30.	Khedi	Narsinghgarh	23^{0}42’04.6’’	077^{0}02’42.9’’
31.	Kotra	Narsinghgarh	23^{0}37’54.1’’	077^{0}06’25.8’’
32.	Mahuakheda	Sehore	23^{0}36’11.3’’	077^{0}08’05.7’’
33.	Naagkho	Narsinghgarh	23^{0}37’53.1’’	077^{0}05’01.0’’
34.	Narsinghgarh	Narsinghgarh	23^{0}42’36.4’’	077^{0}05’21.4’’
35.	Narsingpura	Narsinghgarh	23^{0}42’18.8’’	077^{0}04’08.6’’
36.	Pipalthon	Narsinghgarh	23^{0}37’00.5’’	077^{0}04’17.7’’
37.	Pratappura	Narsinghgarh	23^{0}37’08.3’’	077^{0}06’27.4’’
38.	Pura	Sehore	23^{0}36’13.7’’	077^{0}08’12.3’’
39.	Raghunathpura	Narsinghgarh	23^{0}42’13.4’’	077^{0}07’08.9’’
40.	Resai	Narsinghgarh	23^{0}38’10.4’’	077^{0}08’01.6’’
41.	Rasidkhedi	Narsinghgarh	23^{0}40’23.3’’	077^{0}08’00.2’’
42.	Rukniyakhedi	Narsinghgarh	23^{0}36’16.5’’	077^{0}04’58.8’’
43.	Sarana	Narsinghgarh	23^{0}41’41.9’’	077^{0}03’20.9’’
44.	Sagpur	Narsinghgarh	23^{0}42’27.1’’	077^{0}04’24.4’’
45.	Sherpura	Narsinghgarh	23^{0}36’23.3’’	077^{0}05’17.5’’
46.	Shobhagpura	Narsinghgarh	23^{0}40’18.8’’	077^{0}03’01.4’’
47.	Tindoniya	Narsinghgarh	23^{0}37’17.5’’	077^{0}02’58.1’’
48.	Vijaygarh	Narsinghgarh	23^{0}41’22.3’’	077^{0}07’38.3’’

IndiaCode

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARSINGHGARH WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES



ANNEXURE-IV

Eco-sensitive Zone Monitoring Committee - Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:

 Details may be attached as Annexure

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:

8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.03 12:24:29 +05'30'